संख्याः-680/77-1-2024(1720557)

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उ.प्र. शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक22-08-2024

विषयः- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्रायें जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रेत्तर अन्य कोर्स अवधि के समय पुनः डिवाइस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-डी/24-25/1825 दिनांक 20.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में कई जनपदों के प्रतिनिधियों एवं संस्थानों के नोडल अधिकारियों द्वारा स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्रायें जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रेत्तर अन्य कोर्स अवधि के समय पुनः डिवाइस उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

2- अवगत कराना है कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत नि:शुल्क टेबलेट/स्मार्टफोन वितरण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 975/77-1-2022-156 / 2021 दिनांक 18.07.2022 के बिन्दु संख्या-3-'लाभार्थियों का चयन के प्रस्तर-3 में निम्नवत प्राविधानित है:-

''सम्बन्धित विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विचाराधीन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले युवाओं को राज्य सरकार की अन्य किसी योजना (स्कूली शिक्षा को छोड़कर) के अन्तर्गत स्मार्टफोन/टैबलेट प्राप्त न हुये हों। संकलित किये जाने वाले समस्त डाटा को पोर्टल पर अपलोड किये जाने, पुष्टिकृत किये जाने एवं उसकी शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित विभाग / विभागाध्यक्ष तथा सम्बन्धित संस्था प्रमुख का होगा।''

3- उक्त शासनादेश दिनांक 18.07.2022 में दिये गये उपरोक्त प्राविधान के अनुसार स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत भी किसी छात्र /छात्रा को किसी एक कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी अन्य कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट का पुनः वितरण नहीं किया जाना है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से योजना से सम्बन्धित जनपद के समस्त संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त प्राविधान से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Anil Kumar Sagar
Date: 22-08-2024 19:50:36

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम, पशुधन विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संस्कृति विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को यथोचित माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

2. कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, केन्द्रीय

तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी, राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को यथोचित माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।

4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव